



Neutral Citation No . - 2026:AHC:5888

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 94 वर्ष 2026

सुनील कुमार

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	कैलाश प्रकाश पांडे
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पांडे और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 04.11.2015 को सब-इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी। हालांकि, जब याचिकाकर्ता मुजफ्फर नगर में तैनात थे, तब 01.08.2025 को डीआईजी (कर्मचारी/स्थापना) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण मुजफ्फर नगर से जीआरपी लखनऊ में कर दिया गया, लेकिन उनकी कार्यभारमुक्ति का आदेश दिनांक 21.12.2025 को पारित हुआ। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण/कार्यभारमुक्ति नहीं की जानी चाहिए थी, विशेष रूप से तब जब दिनांक 06.05.2025 के सरकारी आदेश के अनुसार एक सप्ताह के भीतर कार्यभारमुक्ति दी जानी थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस संबंध में दिनांक 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिनमें विशेष अपील संख्या 481 वर्ष 2024 भी शामिल है, जिसका निर्णय दिनांक 14.05.2024 को किया गया था।
3. वर्तमान याचिका में स्थानांतरण और कार्यभारमुक्ति के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उक्त स्थिति का खंडन नहीं कर सके; उनके अनुसार, सरकारी आदेश और परिपत्र प्रतिवादियों पर बाध्यकारी हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को स्थानान्तरण की तिथि से कार्यमुक्ति तक पद पर बनाए रखने के लिए कोई असाधारण कारण नहीं बताया गया है। उनका निवेदन है कि आदेश को रद्द किया जाए।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. स्पष्टतः, स्थानान्तरण आदेश 01.08.2025 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को दिनांक 21.12.2025 के कार्यभारमुक्ति आदेश के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया था। चूंकि प्रतिवादियों के परिपत्रों में यह उल्लेख है कि कार्यभारमुक्ति 7 दिनों के भीतर की जानी है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस संबंध में अवकाश के तहत स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह मुद्दा अब नया नहीं है क्योंकि इस पर विशेष अनुमति संख्या 481 वर्ष 2024 में दिनांक 14.05.2024 को निर्णय लिया जा चुका है।

7. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

8. प्रतिवादी संख्या 2, डीआईजी/स्थापना कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित किए गए स्थानान्तरण आदेश और प्रतिवादी संख्या 3, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फर नगर, जिला मुजफ्फर नगर द्वारा दिनांक 21.12.2025 को पारित किए गए परिणामी आदेश को याचिकाकर्ता से संबंधित सीमा तक रद्द किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)